नियमावली

1–संस्था का नाम – रजा एजूकेशनल सोसा...

2–संस्था का पता– निकट जामा मस्जिद ...निया जिला बरेली

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– समस्त उत्तर प्रदेश

4–संस्था की सदस्यता एवं संदस्यों के वर्ग–इस संस्था की सदस्यता एवं उसका वर्गीकरण निम्नवत होगा संस्था के उददेश्यों में आस्था रखने वाले वे वालिग स्त्री पुरूष जो संस्था के नियमों सें सहमत हों इस संस्था की सदस्यता प्राप्त करने के पात्र होगे इस हेतु एक आवेदन पत्र प्रवन्धक को देना होगा इस आवेदन पत्र की स्वीकृति उपरान्त ही कोई व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बन सकेगा ।

क– आजीवन सदस्य ख-- साधारण सदस्य

आजीवन सदस्य–इस संस्था को 5000–00 रूपया नकद अथवा इस मूल्य की चल अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले महानुभाव इस संस्था के आजीवन सदस्य कहलायेगें

साधारण सदस्य–इस संस्था को 200–00 रूपया प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान करने वाले सज्जन इस संस्था के साधारण सदस्य कहलायेगें।

5– सदस्यता की समाप्तिः– किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी

1–मृत्यु होने पर,

2–पागल होने पर

3–किसी न्यायालय से दण्डित होने पर

4– दिवालिया हो जाने पर

5–त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर

6–वार्षिक शुल्क न देनें पर

7–संस्था के उददेश्यो के विरूद्ध कार्य करने पर

8– निरन्तर तीन बार बैठको में अनुपस्थित रहने पर

9–संस्थाके नियमों के विपरीत कार्य करने पर।

10–संस्था को नुकसान पहुचाने पर।

6–संस्था के अगं– संस्था के निम्नांकित दो प्रकार के अगं होगें ।

अ– साधारण सभा ब– प्रवन्धकारिणी समिति

7–साधारण सभा का गठन बैठक कोरम सूचना अवधि आदि –

गठन–इस नियमावली के पैरा–4 मे वर्णित समस्त सदस्यों को मिलाकर संस्था की साधारण सभा का गठन होगा।

Sunain Khan

Hasnain Khan सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
13/9/2019

CamScanner

बैठकें—सामान्य बैठक एक साल में एक बार होगा तथा इसकी आवश्यक बैठक को किसी भी समय आवश्यकता अनुसार बुलाया जा सकेगा ।यह बैठक साधारण सभा की बैठक कहलायेगी ।

सूचना अवधि —सामान्य बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व ऐजेण्डे के द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क अथवा डाक द्वारा दी जायेंगी ।

गणपूर्ति— साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 वहुमत से सदस्यों की उपस्थिति बैठक में हो जाने पर इसकी बैठको का कोरम पूर्ण रहेगा इस प्रकार कोरम 2/3 होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथि— संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन हर साल के अन्तिम सप्ताह मे प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर होगा ।

साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :—

1—संस्था की प्रवन्धकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों का गठन अपने सदस्यों में से करना ।

2—कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रवन्धकारिणी समिति मे होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने सदस्यों मे से शेष कार्यकाल के लिए 2/3 वहुमत के आधार पर करना ।

3—संस्था के वार्षिक वजट पर विचार करना व उसे स्वीकार करना ।

8—प्रवन्धकारिणी समिति का गठन बैठक कोरम सूचना अवधि आदि :—

गठन—प्रवन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यो का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यो मे से किया जायेगा इसमे सदस्यों की सख्या पदाधिकारियों सहित कम से कम 07 अधिकतम 20 हो सकेगी इसमें एक अध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष, तथा शेष सदस्य होगें।

बैठकें—प्रवन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक एक साल मे दो बार होगी तथा इसकी आवश्यक बैठक को आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलाया जा सकेगा

सूचना अवधि—प्रवन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना कम से कम 24 घन्टे पूर्व ऐजेण्डे के द्वारा व्यक्तिगत सम्र्पक अथवा डाक द्वारा दी जायेगी ।

गणपूर्ति— प्रवन्धकारिणी समिति के कुल सदस्य संख्या का 2/3 वहुमत से बैठक मे उपस्थिति हो जाने पर इसकी बैठको का कोरम पूर्ण होगा इस प्रकार कोरम 2/3 होगा ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बुन्देलखण्ड मंडल, झाँसी (उ०प्र०)

रिक्त स्थानों की पूर्ति – कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रवन्धकारिणी समिति में होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से शेष कार्यकाल के लिए 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी ।

प्रवन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य -

1–संस्था का उचित रूप से प्रवन्ध करना ।

2–संस्था के उददेश्यों की पूर्ति करना तथा उसमें संशोधन परिवर्तन की कार्यवाही करना

3–संस्था की साधारण सभा द्वारा लिये गये निर्णयों पर विचार करना तथा उनको कियान्वियन करना।

कार्यकाल –प्रवन्धकारिणी समिति के कार्यकाल की अवधि 5 साल होगी

चुनाव प्रकिया–प्रवन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यो का चयन साधारण सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों मे से किया जायेगा जिसमे एक प्रस्तावक व एक अनुमोदक का होना आवश्यक होगा ।संस्था के चुनाव मे वही सदस्य मत देने के अर्ह होगें जो संस्था का निर्धारित सदस्यता शुल्क अदा कर विधिवत रसीद प्राप्त कर चुके हों और साधारण सभा के सदस्य बन गये होगें !

9–प्रवन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य--

अध्यक्ष :– संस्था की साधारण सभा व प्रवन्धकारिणीसमिति की होने वाली समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना ,संस्था के कार्यो का निरीक्षण करना तथा अपने अमूल्य सुझाव देना संरक्षक की बैठको मे किसी समय किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति मे एक निर्णायक मत देना ।

प्रवन्धक :–संस्था की बैठकों का संचालन करना आय व्यय की जाचं करना उसकी जाचं रिपोर्ट प्रवन्धकारिणी समिति मे प्रस्तुत करना, संस्था की बैठको की तिथि निर्धारित करना, संस्था की वैठको का संचालन करना तथा बैठकों में लिए गये निर्णयों को क्रियान्वित करना संस्था के आय व्यय लेखा परीक्षण से सहायता संस्था की ओर से समस्त इकरार नामा, ठेका नामा, किरायेनामा आदि दस्तावेजात पर हस्ताक्षर करना व उनको प्रमाणित करना, संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति अवनति आदि करना। संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना तथा उसका रिकार्ड रखना । संस्था के पक्ष विपक्ष में होने अदालती कार्यवाही की पैरवी करना तथा इस हेतु किसी सदस्य को नियुक्त करना । किसी सदस्य के दोषी पाये जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त करना बैठकों का ऐजेण्डा तैयार करना तथा उसको सदस्यों तक पहुचाने का प्रवन्ध करना ।

Sumain Khan

Hasnin Khan

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
13/9/2017

कोषाध्यक्ष–संस्था के खर्च के बिल वाउचर आदि तैयार करना चन्दा वसूलना,आय व्यय जांच मे सहायता करना आदि।

10–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया – संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया साधारण सभा की विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर की जायेगी इस बैठक मे सदस्यो की उपस्थिति 2/3 होना आवश्यक होगी

11–संस्था का कोष –संस्था के नाम से एक खाता किसी बैंक मे खोला जायेगा इसका संचालन अध्यक्ष प्रवन्धक एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा

12–संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण–संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण किसी योग्य आडीटर द्वारा हर साल कराया जायेगा तथा इसकी वार्षिक जांच आख्या प्रवन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत की जायेगी

13–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व –संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व होने वाली समस्त अदालती कार्यवाही की पैरवी संस्था के प्रवन्धक द्वारा की जायेगी ।

14–संस्था के अभिलेख–संस्था के निम्नांकित अभिलेख होंगें।

क–सदस्यता रजिस्टर

ख–कार्यवाही रजिस्टर

ग–स्टाक रजिस्टर

घ–ऐजेण्डा रजिस्टर

ड–कैश वुक आदि

15–संस्था के विघटित और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0 रजि0 एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तगर्त की जायेगी ।

दिनांक 25–06–2015 सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

उपनिबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

बरेली मण्डल, बरेली (उ०प्र०)

13/9/2017